-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं के त्वरित अनावरण व अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्रियान्वित की गई "नाकाबंदी योजना" ।**

विवरण-जनपद बांदा में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं के त्वरित अनावरण व अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री पलाश बंसल द्वारा **"नाकाबंदी योजना"** को क्रियान्वित किया गया है । इस योजना के अंतर्गत यदि जनपद में किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना घटित होती है, तो तत्काल प्रभाव से **जनपद की समस्त सीमाओं को सील** करते हुए **सभी प्रमुख बॉर्डर व चौराहों पर सघन चेकिंग** की जाएगी । साथ ही, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की पहचान और निगरानी हेतु **सभी चिन्हित स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित** किए जा रहे हैं । इस योजना के तहत **कुल 35 स्थानों को चिन्हित** किया गया है, जिनमें **15 अंतर्राज्यीय /अंतरजनपदीय सीमाएं**, जिसमें **05 बिंदु मध्य प्रदेश की सीमा से 02 बिंदु जनपद चित्रकूट सीमा से 01-01 बिंदु महोबा व हमीरपुर सीमा से तथा 05 बिंदु यमुना नदी सीमा पर स्थित इसके अलावा 20 अन्य महत्वपूर्ण स्थान**, जो **जनपद के भीतर प्रमुख चौराहों एवं यातायात बिंदुओं** पर स्थित हैं । यह नाकाबंदी योजना न केवल अपराधियों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने में सहायक होगी, बल्कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में भी मील का पत्थर साबित होगी । जनपद बांदा पुलिस आमजन से अनुरोध करती है कि वे नाकाबंदी के दौरान सहयोग प्रदान करें एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन या डायल 112 पर दें ।